न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस..

प्र.सं. 111/2012
सीसीएमएस : 2012/00154

1. तेजासिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। –:वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 53–88–92–209राज.का.अधि. एवं धारा 125, 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री प्रीतमसिंह गिल वादी अधिवक्ता।
2. राजपैरोकार सरकार

रजू दिनांक 23.07.2012
दिनांक :– 13.08.2024

–: निर्णय :–

1. संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी वादी चक 37 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खता संख्या 28 में पं.नं. 207/327 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. नहरी भूमि धारण करता है। वादी के उक्त रकबा में मुताबिक रिकार्ड कि.नं. 1 ता 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता मंजूर शुद्वा था। मगर कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता मंजूरशुद्वा होने के बावजूद कभी भी रास्ता चालू नही रहा और वादी का कि.नं. 21 ता 25 सालम–सालम पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । मंजूर शुद्वा रास्ता के विपरीत वादी के उक्त रकबा के कि.नं. 1 ता 5 मे रास्ता मंजूर शुद्वा नहीं होने के बावजूद रास्ता चलता रहा, जो रास्ता नानूवाला गांव को सीधे तौर से रायसिंहनगर – श्री विजयनगर पक्की सड़क से जोड़ता है। उक्त रास्ता 20 साल से अधिक समय से चले आने के कारण वादी ने भी कोई गौर व एतराज नही किया जिसे बाद में पक्का बना दिया गया। पक्की सड़क बनाते समय वादी को प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिया गया। कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत कर कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता निरस्त कर दिया जावेगा, मगर कई दफा आग्रह करने पर ऐसा नहीं किया गया। वादी अपने रकबा के कि.नं. 21 ता 25 मे दो–दों बिस्वा रास्ता को निरस्त घोषित करवा कि.नं. 1 ता 25 मे चालू शुद्वा रास्ता दर्ज करवा तदनुसार अभिलेखों में दुरूस्ती करवा पाने का विधिक अधिकारी हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व अपूर्णय क्षति होगी। वादी ने प्रतिवादी से वांधित अनुतोष प्रदान करने के लिये कई दफा अनुरोध किया, मगर प्रथमतः टालमटोल के पश्चात अंततः दिनांक 19.07.2012 को बमुकाम रायसिंहनगर में यह कहकर इंकार कर दिया। कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही राजस्व अभिलेखों में वांछित दुरूस्ती होकर अमलदरामद किया जा सकेगा, ओर वादी को धमकी दी कि उसे कि.नं. 21 ता 25 के दो–दो बिस्वा रास्ता की जगह से बेदखलकर कब्जा बहक सरकार लिया जावेगा। यही तारीख पैदा होने बिनायं दावा बिनाये मुखास्मत हैं। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्त के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष न रहने पर वाद पेश किया जा रहा है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर स्पष्ट रूप अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जावे। कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की [illegible] डिक्री पारित की जावे कि वादी के रकबा वाके चक 37 [illegible] [illegible] संख्या 28 में पं.नं. 207/327 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 25 [illegible] 6.200 है. [illegible] भूमि खातेदारी के कि.नं. 21 ता 25 में रिकार्ड अनुसार स्वीकृत [illegible] रहा और कि.नं. 21 ता 25 सालम–सालम [illegible] से राजस्व अभिलेखों जमाबंदी आदि में कि.नं. 21 ता 25 सालम–सालम पर [illegible] के खातेदारी अधिकार घोषित कर वादी के नाम से दर्ज करने व कि.नं. 1 ता 5 में दो–दो बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

2\. वादी की के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किये गयें। प्रतिवादी की तरफ सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि रिकार्ड में रास्ता कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता है लेकिन कि.नं. 1 ता 5 में कोई रास्ता स्वीकृत नही है वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस बिन्दू बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है न ही कोई दस्तावेज पेश किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टय काबिल खारिज है।

3\. प्रतिवादी ने अपने जवाब अतिरक्त कथन में अंकित किया है कि रिकार्ड में अंकित रास्ता सार्वजनिक उपयोग होने पर सभी के काम आता है वादी की सुविधा अनुसार खारिज करना कानूनी उचित नहीं है।

4\. तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक भू.अभि./2022/3178 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार चक 37 एन.पी. खाता सं. 57 पं.नं. 207/327 मु.नं. 37 कि.नं. 1 ता 10/2.530, 15–16/0.506 कुल 3.036 है. भूमि रघुवीरसिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख साकिन देहखातेदार, खाता सं. 40 मु.नं. 37 कि.नं. 11 ता 14/1.012 है., 17 ता 20/1.012है., 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228है. कुल 3.164 है नहरी भूमि तेजासिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति जटसिख के नाम देहखातेदार नाम दर्ज है। मुताबिक जमाबंदी चक 37 एनपी के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025है. गै.मु. रास्ता दर्ज है परन्तु मौके पर रास्ता चालू नहीं है इसी मुरब्बे के कि.नं. 1 ता 5 में मौके पर रास्ता चल रहा हैं डामर रोड़ बनी हुई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रकबे बाबत किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। उक्त रकबे की मूल पटवारी रिपोर्ट व जमाबंदी संलग्न है।

5\. बहस पक्षकारान सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अपना वाद पत्र स्वीकार कर डिग्री करने हेतु निवेदन किया। सरकार ने अपनी बहस में जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6\. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक भू.अभि./2022/3178 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार चक 37 एन.पी. खाता सं. 57 पं.नं. 207/327 मु.नं. 37 कि.नं. 1 ता 10/2.530, 15–16/0.506 कुल 3.036 है. भूमि रघुवीरसिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख साकिन देहखातेदार, खाता सं. 40 मु.नं. 37 कि.नं. 11 ता 14/1.012 है., 17 ता 20/1.012है., 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228है. कुल 3.164 है नहरी भूमि तेजासिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति जटसिख के नाम देहखातेदार नाम दर्ज है। मुताबिक जमाबंदी चक 37 एनपी के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025है. गै.मु. रास्ता दर्ज है परन्तु मौके पर रास्ता चालू नहीं है इसी मुरब्बे के कि.नं. 1 ता 5 में मौके पर रास्ता चल रहा हैं डामर रोड बनी हुई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रकबे बाबत किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायउचित प्रतीत होता है ।

—:कियान्वन आदेशः—

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिग्री किया जाता है **कि वाके चक 37 एनपी के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025है.** गै.मु. रास्ता दर्ज के स्थान **पर इसी मुरब्बे के कि.नं. 1 ता 5 में मौके पर चल रहे रास्ते को** 2–2 बिस्वा गै. मु. रास्ता **के दर्ज के आदेश दिये जाते है पूर्व में कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत** 2–2 बिस्वा गै. मु. **रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज को निरस्त किया जाता है जो रकबा** वादी के खाते में दर्ज **किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । इसी** आश्य की पर्चा डिग्री **जारी हो।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.08.2024 को लिखाया [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner